

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या -1372/2009/उदयपुर.
2. अपील संख्या -1374/2009/उदयपुर.
3. अपील संख्या - 538/2011/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी / सहायक आयुक्त,
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
जीवन तारा रिसोर्ट, गोवर्धन विलास, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 1372/2009 व 1374/2009 अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा के अपील संख्या क्रमशः 16 व 15/आरएसटी/2008-09/उदयपुर में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 24.06.2009 एवं अपील संख्या 538/2011 उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर के अपील संख्या 218/वेट/2009-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2005-06, 2004-05 व 2006-07 के लिये पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक क्रमशः 24.3.2008; 29.2.2008 व 13.7.2009 के लिये प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।
2. तीनों अपीलों के तथ्य, विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी कम्पनी जो कि भारत सरकार का एक वाणिज्यिक उपक्रम है, द्वारा रक्षा विभाग के लिये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन का ठेका प्राप्त किया गया था, जिसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफडी/टैक्स डिवी/2001-25

लगभग.....2

दिनांक 29.03.2001 के अनुसार 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क जमा कराने हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था जिसमें व्यवहारी द्वारा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट स्थापित करने के कार्य को प्लांट एण्ड मशीनरी की श्रेणी में मानते हुए 2.25 प्रतिशत से शुल्क जमा कराया गया, परन्तु वर्ष 2004-05 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30 के तहत पुनः कर निर्धारण करते हुए दिनांक 29.2.2008 को प्रमाण-पत्र में संशोधन करते हुए उसमें 3 प्रतिशत की दर से शुल्क दिये जाने का आदेश किया गया, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.6.2009 को यह निर्णय दिया गया कि व्यवहारी द्वारा जो कार्य किया गया है, उसके परीक्षण पर यह कार्य प्लांट एण्ड मशीनरी की स्थापना से सम्बन्धित होने से इस पर 2.25 प्रतिशत की दर से ही मुक्ति शुल्क देय है। उसी तरह इसी कार्य के लिये वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के कार्य को प्लांट एण्ड मशीनरी की स्थापना का कार्य न मानकर 3 प्रतिशत से करमुक्ति शुल्क अवधारित करने को भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक माना गया। इस तरह वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में व्यवहारी द्वारा किये गये कार्य को प्लांट एण्ड मशीनरी की श्रेणी में माने जाने के अपीलीय आदेश के विरुद्ध यह अपीलें राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गयी हैं।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रक्षा विभाग द्वारा प्रत्यर्थी कम्पनी को जो ठेका आवंटित किया गया था उसमें करमुक्ति हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार केवल प्लांट एण्ड मशीनरी के मामलों में ही 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क निर्धारित है, जबकि व्यवहारी द्वारा जो कार्य किया गया है वह प्लांट एण्ड मशीनरी न होकर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट स्थापित करना है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2004-05 में जो प्रथम बार आदेश दिनांक 28.3.2007 को पारित किया गया था उसमें दिनांक 29.3.2008 को 3 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क देना निर्धारित किया गया था उसमें कोई त्रुटि नहीं है परन्तु वर्ष 2004-05 की अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से स्वीकार कर किये गये कार्य को प्लांट एण्ड मशीनरी का कार्य माना गया है जो उचित नहीं है, साथ ही प्रकरण में पुनः कर निर्धारण आदेश किये जाने को भी अविधिक माना गया था, वह भी विधिसम्मत नहीं है। इसी तरह वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के अपीलीय आदेशों को भी अविधिक ठहराते हुए कथन किया कि उक्त ठेका कार्य जो वर्ष 2004-05 से लगातार जारी था उसमें मुक्ति शुल्क की दर प्लांट एण्ड मशीनरी के रूप में देय नहीं होने से उसमें भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार किया जाना अनुचित होने से इन सभी आदेशों को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने का अनुरोध किया।



लगातार.....3

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रथम बार वर्ष 2004-05 में जब व्यवहारी को रक्षा विभाग से ठेका दिया गया था, उस ठेके में किये गये कार्य की प्रकृति एवं आदेश में अंकित कार्यादेशों अनुसार पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.3.2007 को ठेके की प्रकृति प्लांट एण्ड मशीनरी होना पूर्ण विचार के बाद अवधारित किया गया था, जिसमें कोई त्रुटि नहीं थी परन्तु बिना किसी कारण के केवलमात्र ऑडिट आक्षेप के आधार पर उसे प्लांट एण्ड मशीनरी का कार्य नहीं मानते हुए जो पुनः आदेश पारित किया गया था वह अविधिक था क्योंकि पुनः पारित आदेश दिनांक 29.2.2008 में ऐसा कोई कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकित नहीं किया गया है जो उनके प्रथम बार कार्य की प्रकृति अनुसार किये गये आदेश दिनांक 28.3.2007 को अविधिक घोषित कर सके एवं इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2004-05 के अपील निर्णय में यह अवधारित किया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को जो कार्य आवंटित किया गया था उसकी प्रकृति को देखते हुए अधिसूचना दिनांक 29.3.2001 अनुसार प्लांट एण्ड मशीनरी होने से 2.25 प्रतिशत से शुल्क देय है। उन्होंने कथन किया कि इसी आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में भी जो 3 प्रतिशत मुक्ति शुल्क आरोपित किया गया था उसे अन्य अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अविधिक मानते हुए इस पर 2.25 प्रतिशत की दर से शुल्क की देयता होना विधिसम्मत माना गया है जिसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है।

6. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों में यह अवधारित किया जा चुका है कि मत परिवर्तन (Change of opinion) के आधार पर प्रथम बार में परीक्षण के पश्चात् किये गये आदेश को अपास्त कर नया आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 6714 / 2009 स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश बनाम आर्यव्रत चॉल उद्योग निर्णय दिनांक 27.11.2014 एवं रविप्रकाश रिफाईनरीज प्रा0 लि0 बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक निर्णय दिनांक 03.05.2016 (2016) 25 वेट रिपोर्टर 253 एवं राजस्थान कर बोर्ड का न्यायिक दृष्टान्त 31 टैक्स अपडेट 69 सहायक आयुक्त, कार्य संविदा अलवर बनाम यूनियटेक लिमिटेड अलवर प्रस्तुत किये गये।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

1/1



लगातार.....4

8. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी भारत सरकार का ही वाणिज्यिक उपक्रम है, जिसके द्वारा रक्षा विभाग के कम्युनिकेशन सम्बन्धी प्लांट एण्ड इक्विपमेंट स्थापित किये जाने के लिये जो कार्य संविदा प्राप्त की थी उसमें रक्षा विभाग की गोपनीयता बरतते हुए कार्य की मूल प्रकृति के रूप में यह निर्देश दिये गये थे कि "To provide labour, material, tools, plants & transportation etc. which are required for the full and entire completion of the contract. Tender & item rate contract for provision of certain communication equipment." यह कार्य कम्युनिकेशन सेंटर को स्थापित करने के लिये प्रत्यर्थी व्यवहारी को कार्य संविदा के रूप में दिया गया था जिसमें कम्युनिकेशन सम्बन्धी उपकरणों को स्थापित करने का कार्य प्रदत्त था जिसके सम्बन्ध में प्रथम बार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि किया गया कार्य अधिसूचना के अनुसार प्लांट एण्ड मशीनरी स्थापित करने के लिये होने से इस पर 2.25 प्रतिशत की दर से ही करदेयता है।

9. पत्रावली के परीक्षण पर पाया कि उक्त निर्णय के बाद ऑडिट दल द्वारा यह आक्षेप किया गया कि कार्यादेश के अनुसार इस कार्य को प्लांट एण्ड मशीनरी नहीं माना जा सकता परन्तु इस आक्षेप में ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया कि कम्युनिकेशन की पूरी प्रणाली को स्थापित करने के कार्य को प्लान्ट के रूप में क्यों नहीं माना जाये, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऑडिट आक्षेप के निस्तारण के मददेनजर प्रकरण को पुनः दिनांक 29.02.2008 को खोलते हुए बिना किसी कारण अंकित किये 2.25 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत की दर आरोपित की गई, जिसे अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर खारिज किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व के आदेश को अपास्त कर नया आदेश धारा 30 के तहत बिना कारण के पारित किया जाना उचित नहीं है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप को देखते हुए इसे प्लांट एण्ड मशीनरी माना गया है, जिसका परीक्षण मोटे तौर पर किये जाने पर यह प्रतीत होता है कि रक्षा विभाग में संचार सेवा हेतु जिस प्लान्ट का निर्माण किया गया है वह प्लांट एण्ड मशीनरी के तहत ही सम्मिलित योग्य है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी ऑडिट आक्षेप के बाद ऑडिट दल को यह जवाब पत्र संख्या 808 दिनांक 03.08.2007 द्वारा दिया जाकर यह विचार प्रकट किया था कि प्रस्तुत दस्तावेज व कार्यादेश से यह कार्य प्लांट एण्ड मशीनरी का कार्य प्रतीत होता है एवं इसे प्लांट एण्ड मशीनरी मानते हुए 2.25 प्रतिशत की दर का आरोपण उचित माना गया था, परन्तु उन्हीं अधिकारी द्वारा, जिसकी दिनांक 19.2.2008 के कर निर्धारण आदेश एवं पत्र दिनांक 3.8.2007 के पत्र में किये गये हस्ताक्षरों से यह पुष्टि होती है, बाद में केवलमात्र ऑडिट आक्षेप को समाप्त करने के उद्देश्य से पुनः आदेश पारित कर दिनांक 29.2.2008 को 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क आरोपित किया गया।

↓

✍

लगातार.....5

10. इन दस्तावेजों से यह पुष्टि होती है कि प्रथम बार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.3.2007 को विधिवत् नोटिस जारी कर उसकी सुनवाई करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि जो कार्यादेश रक्षा विभाग द्वारा दिया गया है वह कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित करने के लिये प्लांट एण्ड मशीनरी की स्थापना का ही कार्य है एवं उसके पश्चात् भी प्रकरण को रीओपन करने वाले अधिकारी द्वारा भी दिनांक 3.8.2007 को अपने पत्र के जरिये ऑडिट दल को अवगत कराया था कि यह कार्य प्लांट एण्ड मशीनरी का ही कार्य है परन्तु ऑडिट आक्षेप की सलाह अनुसार दूसरा आदेश पारित किया गया है जो यह दर्शाता है कि दो अलग-अलग कर निर्धारण अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस कार्य को प्लांट एण्ड मशीनरी की श्रेणी में मानते हुए अधिसूचना के अनुसार 2.25 प्रतिशत से शुल्क वसूल किये जाने के आदेश किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है अतः उक्त समस्त विवादित मामलों में एक ही कार्यादेश का कार्य होने से वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 के तीनों कर निर्धारण आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क अवधारित करने के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

11. परिणामस्वरूप राजस्व की तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(के. एल. जैन)
सदस्य